न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

उपस्थितः– मो0 फैज़ आलम खॉ (एच0जे0एस0)

<u>सत्र परीक्षण संख्याः–276 / 2015</u>

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

1– युनुस पुत्र मो0 जहीर शाह

2– मो0 जमीर पुत्र मो0 जहीर

3– मोहम्मद जहीर शाह पुत्र रियासत

सर्व निवासीगण मो0 एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहॉपुर।

मुकदमा अपराध संख्या–621ए / 2014

धारा–308 / 34 व 325 / 34 भा0दं0सं0

थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहाँपुर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण युनुस, मो0 जमीर व मोहम्मद जहीर शाह का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–621ए / 2014, अन्तर्गत धारा 308 / 34 व 325 / 34 भा0दं0सं0, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहॉपुर के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री इरशाद खां पुत्र श्री पिस्सू खां, निवासी मो0 एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर दिनांक–19–04–2014 को समय 23:15 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसके फूफा वसीम उर्फ भूरे पुत्र नत्थू दिनांक–19–04–2014 को मोहल्ले में हो रहा जलसा को देखने गये थे, वहॉ पर उसके मोहल्ले के यूसुफ पुत्र जहीर शाह खीरे का ठेला लगाकर खीरे बेच रहा था। उसके फूफा वसीम उर्फ भूरे ने पैसे देकर एक खीरा मोल लिया था, लेकिन किसी बात को लेकर खीरे बेचने वाले यूसुफ से वसीम उर्फ भूरे की कहा–सुनी हो गयी थी। इसी कहा–सुनी पर यूसुफ व इसका भाई मो0 जमीर व इसके पिता मो0 जहरी शाह पुत्र रियासत अली शाह अपने घर से समय करीब 10:00 बजे रात लाठी–डण्डा लेकर वसीम उर्फ भूरे को मारने–पीटने लगे तथा इन तीनों ने वसीम उर्फ भूरे को वहॉ पर इतना मारा कि वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। मारपीट से उसके सिर एवं शरीर में गम्भीर चोटें आयी है। मौके पर मौजूद गवाहान सरोज पुत्र नजीर खां व जावेद पुत्र रफीक जो उसके मोहल्ले के हैं, ने सारा वाकिया देखा एवं उसके फूफा वसीम उर्फ भूरे को इन लोगों से बचाया। तीनों मुल्जिमान उसके फूफा को अधमरा छोड़कर भीड़ की वजह से मौके से भाग गये।

3. लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या–621ए/2014, अन्तर्गत धारा 308 भा0दं0सं0, में अभियुक्तगण युसूफ, जमीर व मो0 जहरी शाह के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जिसका उल्लेख नकल कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3 में किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण यूनुस, मो0 जमीर व मोहम्मद जहीर शाह के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–7 अन्तर्गत धारा 308 व 325 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 308/34 व 325/34 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्ल्यू0–1 वसीम, पी0डब्ल्यू0–2 इरशाद, पी0डब्ल्यू–3 जावेद, पी0डब्ल्यू–4 शहरोज खॉ एवं पी0डब्ल्यू–5 मो0 तारिक सिद्दीकी को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, नकल जी0डी0 कायमी मुकदमा की कार्बन प्रति प्रदर्श क–3, नक्शा–नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–4, चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व क–6, आरोपपत्र प्रदर्श क–7, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–8 व तीन किता एक्स–रे प्लेट प्रस्तुत किये गये हैं। अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य अभियोजन की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, नकल जी0डी0 कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–4, चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, आरोपपत्र प्रदर्श क–7 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–8 की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार की गयी। जिन पर प्रदर्श डाले गये।

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0संहिता लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा झूॅठा चलना बताया गया, साक्षियों के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है।

9. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अपने कथानक को प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि दिनांक–19–04–2014 को समय 10:00 बजे राज अभियुक्तगण एकराय होकर वादी मुकदमा के फूफा वसीम उर्फ भूरे को लाठी–डण्डों से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायी। गवाहान के आ जाने पर अभियुक्तगण मौके से भाग गये। अतः अभियुक्तगण, धारा 308 व 325 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य हैं।

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्को के उत्तर में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक दाण्डिक विचारण में यह अभियोजन का दायित्व है कि अपने कथानक को प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अपने कथानक को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से अपने कथानक को प्रमाणित किये जाने हेतु 05 तथ्यात्मक साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें चुटैल भी सम्मिलित है, किन्तु किसी भी साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा इन सभी साक्षीगण को प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पक्षद्रोही घोषित कराकर उनसे विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है तथा विस्तृत प्रतिपरीक्षा किये जाने पश्चात् भी इन साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रहा है, अतः पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे लेसमात्र भी अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध किया जाना प्रमाणित होता हो। अतः अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है तथा अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।

12. पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चुटैल वसीम के शरीर पर निम्नलिखित चोटें दर्शायी गयी हैं–

1- LW 6.5 cm x 0.5 cm x bonedeep Abrasion all around, over(L) side of skull 7cm from (L) earpinna, shape linear, margin inverted irregular, blooding fresh, X-ray of skull advised.

2- Abrasion- 4cm x 3cm, over (L) side of skull 3cm Anterior to Ist injury, shape irregular, margin irregular, Redness present.

3- Abrasion- 3cm x 2cm on (L) side of face, shape and margin irregular Redness present.

4- Contusion 8cm x 6cm, Exterior aspect of (L) forearm, shape and margin irregular, blooding Redness present, X-ray advised.

13. अब यह निर्धारित किया जाना है कि क्या अभियुक्तगण के द्वारा

दिनांक–19–04–2014 को वादी मुकदमा के फूफा वसीम उर्फ भूरे को मोहल्ला एमनजई जलालनगर, अन्तर्गत थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहॉपुर के अन्तर्गत उसे लाठी व डण्डों से मारपीट कर उसे सिर व शरीर पर चोटें पहुॅचायी ? अतः इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की संवीक्षा किया जाना नितान्त आवश्यक है।

14. साक्षी पी0डब्लू0–1 वसीम द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि घटना बयान के दिनांक से लगभग सवा साल पहले की है। रात के दस बजे का वाकिया है। गर्मियों का समय था। वह अपने मोहल्ले में खीरा बेचने वाले के ठेले के पास खड़ा हुआ था। वहॉ पर उसके मोहल्ले के दो बच्चों में झगड़ा फसाद होने लगा। शोर शराबा हुआ, तो मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठे हो गये थे। उसी में लाठी–डण्डे चलने लगे, जिससे उसके सिर में व बांयी कलाई में चोटें आयी थी। चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया था। भीड़–भाड़ के कारण मारने वाले को वह पहचान नहीं पाया था। हाजिर अदालत मुल्जिमान यूनुस, जमीर व जहीर को गवाह ने देखकर कहा कि इन लोगों को घटना के समय उसने देखा व पहचाना नहीं था। दस बजे का समय था व रात अंधेरी थी। विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0संहिता का बयान विवेचक को देने से स्पष्टतः इंकार किया गया।

15. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू–2 इरशाद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि दिनांक–19–04–2014 को गंज शहीद बाबा की मजार पर जलसा हो रहा था। वहीं पर युसुफ ठेला लगाकर खीरा बेच रहे थे। उसके समाने युसुफ से वसीम उर्फ भूरे ने खीरा नहीं लिया था और न ही उसके समाने कोई कहा7सुनी हुयी थी। उसने जमीर, उसके भाई युनुस व इनके पिता जहरी शाह को लाठी–डण्डा लेकर रात दस बजे के करीब वसीम उर्फ भूरे को मारते–पीटते नहीं देखा था। हाजिर अदालत मुल्जिम युनुस व गैर हाजिर जमीर व जहीर को उसने वसीम उर्फ भूरे के साथ मारपीट करते नहीं देखा था। घटना के वक्त वह घर पर था। घर पर सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर आया था और घायल अवस्था में वसीम उर्फ भूरे को थाने लेकर गया था। थाने पर मोहल्ले के बहुत से लोग गये थे। वहॉ थाने पर एक तहरीर पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज संख्या 5क पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह ीतहरीर थाने में दी गयी थी। वसीम उर्फ भूरे ने चोट पहुॅचाने वालों के नाम उसे नहीं बताये थे। तहरीर में उसने अपनी तरफ से किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था। तहरीर लिखने वाले ने तहरीर उसे पढ़कर नहीं सुनायी थी। विद्वान प्रभारी जिला

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0संहिता का बयान विवेचक को देने से स्पष्टतः इंकार किया गया।

16. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू–3 जावेद द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक–19–04–2014 को गंज शहीद बाबा की मजार पर जलसा हो रहा था। वहीं पर युसुफ ठेला लगाकर खीरा बेच रहा था। उसके सामने युसुफ से वसीम उर्फ भूरे ने खीरा नहीं लिया था और न ही उसके सामने कोई कहा–सुनी हुयी थी। उसने जमीर, उसके भाई युनुस व इनके पिता जहीर शाह को लाठी–डण्डा लेकर रात दस बजे के करीब वसीम उर्फ भूरे को मारते–पीटते नहीं देखा था। हाजिर अदालत मुल्जिम युनुस व गैर हाजिर जमीर व जहीर को उसने वसीम उर्फ भूरे के साथ मारपीट करते नहीं देखा था। घटना के वक्त वह घर पर था। घर पर सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर आया था। विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। पक्षद्रोही घ ोषित कर प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0संहिता का बयान विवेचक को देने से स्पष्टतः इंकार किया गया।

17. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू–4 शहरोज खॉ द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक–19–04–2014 को गंज शहीद बाबा की मजार पर जलसा हो रहा था। वहीं पर युनुस ठेला लगाकर खीरा बेच रहा था। उसके सामने युनुस से वसीम उर्फ भूरे ने खीरा नहीं लिया था और न ही उसके सामने कोई कहा–सुनी हुयी थी। उसने जमीर, उसके भाई युनुस व इनके पिता जहीर शाह को लाठी–डण्डा लेकर रात दस बजे के करीब वसीम उर्फ भूरे को मारते–पीटते नहीं देखा था। हाजिर अदालत मुल्जिम जहीर व गैर हाजिर जमीर व युनुस को उसने वसीम उर्फ भूरे के साथ मारपीट करते नहीं देखा था। घटना के वक्त वह घर पर था। घर पर सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर आया था। विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0संहिता का बयान विवेचक को देने से स्पष्टतः इंकार किया गया।

18. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू–5 मो0 तारिक द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक–19–04–2014 को गंज शहीद बाबा की मजार पर जलसा हो रहा था। वहीं पर युसुफ ठेला लगाकर खीरा बेच रहा था। उसके सामने युसुफ से वसीम उर्फ भूरे ने खीरा नहीं लिया था और न ही उसके सामने कोई कहा–सुनी हुयी थी। उसने जमीर, उसके भाई युनुस व इनके पिता जहीर शाह को

लाठी–डण्डा लेकर रात दस बजे के करीब वसीम उर्फ भूरे को मारते–पीटते नहीं देखा था। हाजिर अदालत मुल्जिम जहीर व गैर हाजिर जमीर व युनुस को उसने वसीम उर्फ भूरे के साथ मारपीट करते नहीं देखा था। घटना के वक्त वह घर पर था। घर पर सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर आया था। विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। पक्षद्रोही घ ाोषित कर प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0संहिता का बयान विवेचक को देने से स्पष्टतः इंकार किया गया।

19. इस स्तर पर सर्वप्रथम पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के गुणवत्ता एवं ग्राह्यता के सम्बन्ध में विधिक स्थिति का आकलन किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **2007 सी0आर0एल0जे0 पृष्ठ 2942, जोधराज प्रति राजस्थान राज्य** में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि केवल इस आधार पर कि कोई साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया गया है, व उसने अपने पूर्व में किये गये कथनों का समर्थन नहीं किया है, सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों में न्यायालय के लिये यह अनुज्ञेय (Permissible) है कि वह ऐसे साक्षी के साक्ष्य के एक भाग पर विश्वास कर सके, जो न्यायालय की राय में विश्वसनीय हो।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **ए0आई0आर0 2001 (एस0सी0) पृष्ठ 330, गुड़ा सिंह बनाम राजस्थान राज्य** में कहा गया है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य केवल उसके पक्षद्रोही होने के कारण पत्रावली से लुप्त नहीं हो जाता, यह विचारणीय न्यायालय के लिये आवश्यक है कि वह यह देखे कि प्रतिपरीक्षा किये जाने के पश्चात् भी क्या ऐसे साक्षी के साक्ष्य का कोई भाग विश्वसनीय है, व यदि ऐसे साक्षी का कोई भाग प्रतिपरीक्षा के बाद भी विश्वसनीय रह जाता है तो न्यायालय उचित मामले में ऐसे साक्षी के विश्वसनीय भाग पर विश्वास कर सकता है। यही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **रामकृष्ण बनाम महराष्ट्र राज्य, 2007 (58) ए0सी0सी0 पृष्ठ 604, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश चन्द्र मिश्रा व अन्य 1996 (10) एस0सी0सी0 पृष्ठ 360, राधामोहन सिंह उर्फ लाल साहिब व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, ए0आई0आर0 2006 एस0सी0 पृष्ठ 951** में व्यक्त किया गया है।

21. उक्त वर्णित विधि व्यवस्था **राधामोहन सिंह उर्फ लाल साहिब व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, ए0आई0आर0 2006 एस0सी0 पृष्ठ 951** में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य का वह भाग, जो विश्वसनीय हो, स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकरण के तथ्यों में साक्षी पी0डब्ल्यू–3 मोहन

यादव ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया था तथा प्रतिपरीक्षा अगले दिन के लिये स्थगित कर दी गयी थी तथा अग्रिम नियत दिनांक पर यह साक्षी पक्षद्रोही हो गया था, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने इस साक्षी की मुख्य परीक्षा को विश्वसनीय माना। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **ए0आई0आर0 1991 एस0सी0 पृष्ठ 1853, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य** में भी उपरोक्त अभिमत व्यक्त किया गया। इस प्रकरण के तथ्यों में भी एक साक्षी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के पक्ष में साक्ष्य देने के पश्चात् स्थगित की गयी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण के पक्ष में साक्ष्य दिया। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे साक्षी की मुख्य परीक्षा के साक्ष्य को विश्वसनीय माना। विधि व्यवस्था **1984, इलाहाबाद लॉ जनरल पृष्ठ 275, माधोराम शाक्य बनाम उ0प्र0 राज्य, डिवीजनल बेन्च** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य पत्रावली से लुप्त नहीं हो जाता तथा ऐसे साक्षी, जिसने मुख्य परीक्षा में अभियोजन के कथानक का समर्थन किया हो तथा बाद में वह अभियुक्तगणगण से साज कर गया हो, तो ऐसे साक्षी के पूर्व लिखित मुख्य परीक्षा पर विश्वास किया जा सकता है।

22. अतः यह निर्विवाद विधि का सिद्धान्त है कि पक्षद्रोही साक्षियों का साक्ष्य केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वे पक्षद्रोही हो गये हैं। यदि धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत लोक अभियोजक द्वारा साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कराकर उनसे प्रतिपरीक्षा करने के पश्चात् भी पक्षद्रोही साक्षीगण का साक्ष्य सारवान बिन्दुओं पर विश्वसनीय रहता है, तो न्यायालय ऐसे पक्षद्रोही साक्षीगण के विश्वसनीय साक्ष्य पर विश्वास कर सकता है।

23. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षीगण के साक्ष्य की संवीक्षा उक्त विधि व्यवस्थाओं द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को की पृष्ठभूमि में की जानी है।

24. अभियुक्तगण युनुस, मो0 जमीर एवं मो0 जहीर शाह के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा इस आशय का आरोप विरचित किया गया था कि दिनांक–19–04–2014 को समय 10:00 बजे रात्रि स्थान मो0 एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर में उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के फूफा वसीमा उर्फ भूरे को लाठी–डण्डों से मारपीट कर उसके सिर एवं शरीर में जानलेवा चोटें पहुॅचायी, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गयी। संक्षेप में अभियेाजन का कथानक यह था कि दिनांक–19–04–2014 की रात्रि वसीम उर्फ भूरे की अभियुक्तगण से कहा–सुनी हो गयी तथा इसी कहा–सुनी पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डा लेकर

लगभग 10:00 बजे रात्रि चुटैल वसीम उर्फ भूरे के साथ गम्भीर रूप से मारपीट की गयी, जिससे वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गया तथा मारपीट से उसके सिर पर एवं शरीर पर गम्भीर चोट आयी। घटना को मौके पर उपस्थित सरोज पुत्र नजीर खॉ, जावेद पुत्र रफीक द्वारा देखा जाना एवं वादी मुकदमा द्वारा चुटैल को बचाया जाना कहा गया है।

25. अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट इरशाद खॉ द्वारा लिखायी गयी है, जो विचारण के मध्य पी0डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित करायाग या है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही कहा गया है कि उसने अभियुक्तगण को लाठी–डण्डों से चुटैल वसीम उर्फ भूरे को मारते–पीटते नहीं देखा था तथा घटना के समय वे घर पर था। घर पर सूचना मिलने के पश्चात् वह घटनास्थल पर आया था तथा थाने पर एक तहरीर पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। यद्यपि इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–1 तहरीर, जिसके आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी है, पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया गया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि वसीम उर्फ भूरे ने उसे चोट पहुॅचाने वालों के नाम नहीं बताये थे, जबकि प्रदर्श क–1 तहरीर में अभियुक्तगण के नाम मारपीट करने वाले में दर्शाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा में ही इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि तहरीर लिखने वाले ने तहरीर उसे पढ़कर नहीं सुनायी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि उसने दरोगा जी को अभियुक्तगण द्वारा चुटैल वसीम उर्फ भूरे को मारपीट करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया था। अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 सुनने के पश्चात् इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को नहीं दिया था। इस साक्षी द्वारा इस तथ्य से भी इंकार किया गया कि उसने अभियुक्तगण से आर्थिक लाभ प्राप्त कर लिया है, जिस वजह से वह सही बयान नहीं दे रहा है। न्यायालय द्वारा की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि वह पढ़ा–लिखा नहीं है। केवल अपना नाम लिखना जानता है। घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था। उसने अपने फूफा चुटेल वसीम के कहने पर उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट लिखा दी थी। अब उसके फूफा वसीम द्वारा न्यायालय के समक्ष सही बात बतायी गयी है। यह सही है कि वह घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता है। वह सही बात न्यायालय के समक्ष रख रहा है। इस साक्षी, जिसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है, के द्वारा कहा गया है कि उसने चुटैल वसीम उर्फ भूरे को अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करते हुये नहीं देखा गया है तथा उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल चुटैल वसीम उर्फ भूरे के कहने पर लिखा दी थी। दूसरी ओर उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि वसीम उर्फ भूरे ने

उसने चोट पहुॅचाने वालों का नाम नहीं बताया था तथा तहरीर लिखने वाले ने तहरीर उसे पढ़कर नहीं सुनायी थी। अतः पी0डब्ल्यू–2 के साक्ष्य में अत्यधिक गम्भीर प्रकृति के विरोधाभास हैं तथा न्यायालय की दृष्टि में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का नहीं है। अतः इस साक्षी के अविश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ नहीं पहुॅचता है।

26. वसीम, जिसे घटना में घायल हो जाना बताया गया है, के सम्बन्ध में आहत आख्या प्रदर्श क–6 पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें चुटैल के सर पर व चेहरे पर चोटें पायी गयी है तथा एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–8 व पूरक आहत आख्या प्रदर्श क–9 के अनुसार चुटैल के हाथ की अलना हड्‌डी टूटी हुयी पायी गयी है तथा इस आधार पर चुटैल को आयी चोट संख्या–4 को गम्भीर प्रकृति का बताया गया है। उक्त आहत आख्याओं एवं पूरक आख्याओं से, जिनकी मौलिक सत्यता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है, से यह तो प्रमाणित होता है कि दुर्घटना की दिनांक व समय को चुटैल वसीम उर्फ भूरे के सर पर, शरीर व अन्य भागों पर चोटें आयी थी तथा उसके हाथ की अलना हड्‌डी टूट गयी थी, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में ही इस तथ्य से इंकार किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी है। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा के अनुसार घटना की दिनांक व समय को मोहल्ले के बच्चों में झगड़ा–फसाद होने लगा था। मोहल्ले के काफी लोग इकट्‌ठे हो गये थे। उसी में लाठी–डण्डा चलने लगा, जिससे उसके सर व बांयी कलाई में चोट आयी थी। चोट लगने से वह बेहोश हो गया था तथा भीड़–भाड़ होने के कारण मारने वालों को नहीं देख पाया। इस साक्षी को प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा की गयी प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से स्पष्टतः इंकार किया गया है। इस प्रकार इस विचारण का मुख्य साक्षी, जिसे अभिकथित घटना में चुटैल होना बताया गया है, के द्वारा ही अभियुक्तगण द्वारा उसे मारपीट कर चोटें पहुॅचाने के तथ्यों से इंकार किया गया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन के कथानक को कोई लाभ नहीं पहुॅचता है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित दिनांक व समय पर लाठी–डण्डों से मारपीट कर इस साक्षी को चोटें पहुॅचायी गयी थी।

27. पी0डब्ल्यू–3 साक्षी जावेद व पी0डब्ल्यू–4 साक्षी शहरोज खॉ, जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, के द्वारा दिनांक–19–04–2014 को अभियुक्तगण द्वारा वसीम उर्फ भूरे को मारपीट करते हुये देखने के तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि उक्त

दिनांक व समय को गंजशहीद बाबा की मजार पर जलसा हो रहा था तथा उनके सामने कोई कहा—सुनी नहीं हुयी थी तथा अभियुक्तगण द्वारा उनके सामने चुटैल वसीम उर्फ भूरे को मारपीट नहीं की गयी थी तथा घटना के वक्त ये दोनों साक्षी अपने—अपने घरों पर थे तथा सूचना मिलने पर घटनास्थल पर आये थे। दोनों साक्षीगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से इंकार किया गया है। अतः इन साक्षीगण के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

28. साक्षी मो0 तारिक सिद्दीकी पी0डब्ल्यू—5 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही दिनांक—19—04—2014 की रात्रि अभियुक्तगण द्वारा चुटैल वसीम उर्फ भूरे को मारपीट करते हुये देखने के तथ्य से इंकार किया गया है। उसके द्वारा कहा गया है कि वह घटना के समय घर पर था तथा सूचना मिलने के पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुॅचा था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से इंकार किया गया। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

29. प्रस्तुत विचारण में साक्षी पी0डल्यू—2 इरशाद, जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी, के द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वसीम उर्फ भूरे चुटैल ने चोट पहुॅचाने वालों के नाम नहीं बताये थे तथा तहरीर लिखने वाले ने तहरीर पढ़कर उसे नहीं सुनायी थी। न्यायालय द्वारा की गयी पृच्छा में इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि कथित घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था तथा उसने अपने फूफा चुटैल वसीम के कहने पर रिपोर्ट लिखवा दी थी तथा पी0डब्ल्यू—1 स्वयं चुटैल वसीम उर्फ भूरे द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घटना की दिनांक व समय को उसके साथ मारपीट करना अथवा चोट पहुॅचाने के तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया गया है तथा अन्य साक्षीगण पी0डब्ल्यू—3, 4 व 5, जिन्हें घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया था, के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा चुटैल वसीम उर्फ भूरे के साथ, घटना की दिनांक व समय पर, मारपीट करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा कहा गया है कि घटना के समय वे अपने—अपने घरों पर थे तथा उनके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गयी है। अतः अभियुक्तगण द्वारा अपने कथानक को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिकथित कथानक को प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त कर अपने विरूद्ध आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

1– अभियुक्तगण यूनुस, मो0 जमीर व मोहम्मद जहीर शाह को धारा 308/34 व 325/34 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

2– अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437ए दं0प्र0संहिता के प्रावधानों के अनुरूप 40,000/– 40,000/– रूपये के स्वबंधपत्र व इतनी ही राशि के दो–दो प्रतिभू एक सप्ताह में इस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है तो वे, वहॉ उपस्थित होंगे। यह बंधपत्र एवं प्रतिभू छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक–29–05–2017

(मो0 फैज़ आलम खॉ)
सत्र न्यायाधीश
शाहजहाँपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–29–05–2017

(मो0 फैज़ आलम खॉ)
सत्र न्यायाधीश
शाहजहाँपुर।